अपील सूचना अधिकार संख्या 16/2021 (GCMS 2020/28) एडवोकेट गोपाल सिंह निवासी बी/बी–2, नवलखा अपार्टमेंट, भारत माता पथ, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) (मोबाईल नं. 98299–95829) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपाल सिंह उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार, व.लि. उपस्थित है उसके द्वारा अपील का जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2020 के द्वारा छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उनके द्वारा उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने यह अपील प्रस्तुत करके लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी गोपाल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

दिनांक 02.09.2020 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ने तहसीलदार महोदय को एक पत्र भेजा था। उक्त भेजे गये पत्र का विषय **"सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर में पर्यावरण को हानि पहुंचाकर, वातावरण को प्रदूषित कर, बाल श्रमिकों से काम करवाकर, मिट्टी चोरी कर, पेड़ो की अवैध रूप से ट्यूबेल खोदकर, भूमि कनवर्जन कराये बिना, मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराये बिना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एजीटी) से एनओसी प्राप्त किये बिना अवैध रूप से ईंट भट्टों का संचालन करने वाले पवन ईंट भट्टा, दीपिका ईंट भट्टा, बागड़ी ईंट भट्टा आदि के भट्टा मालिकों के विरूद्ध संख्त से सख्त कार्यवाही कर उक्त ईंट भट्टों को तुरन्त प्रभाव से बन्द करने हेतु" था।** उक्त भेजे गये पत्र के संबंध में निम्नलिखित सत्यापित सूचनाएं अतित्वरित प्रेषित करें :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1. यह है कि उक्त भेजे गये पत्र की प्रति मय संलग्न दस्तावेज।
2. यह है कि उक्त भेजे गये पत्र के डाक आवक जावक रजिस्टर की प्रति।
3. यह है कि उक्त भेजे गये पत्र पर चलाई गई समस्त नोटशीटें।
4. यह है कि संबंधित समस्त पत्रावली के आगे व पीछे के फाईल कवर
5. यह है कि उक्त पत्र पर आपके विभाग कार्यालय की ओर से की गई समस्त कार्यवहाी से संबंधित समस्त दस्तावेज।
6. यह है कि उक्त भेजे गये पत्र के संबंध में संधारित की गई समस्त पत्रावलियों में शामिल समस्त दस्तावेजों की कुल संख्या पत्रावलीवार बतावें।

तहसीलदार, सूरतगढ ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/ दिनांक 18.03.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया हैः

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी गोपाल सिंह द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत अपील पत्र व आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2020 में दिनांक 02.09.2020 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय सूरतगढ के द्वारा प्रा. पत्र दिनांक 08.09.2020 को प्राप्त हुआ था। जिसमें मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 16.02.2021 पूर्व कर्मचारी अनुसार पटवारी हल्का को प्रेषित किया गया लेकिन कर्मचारी का स्थनान्तरण होने के कारण पुः स्मरण पत्र नहीं दिया गया। पुनः आवेदन पत्र 01.12.2020 में पटवारी हल्का/भूअभि. निरीक्षक द्वारा जांचे करवाई गई जिसकी जांचों की प्रति अप्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 202 दिनांक 19.02.2021 द्वारा उक्त सूचना भिजवाई गई व जिसकी सूचना प्रार्थी को वकील

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा विधिक नोटिस के सन्दर्भ में प्रति इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 203—04 दिनांक 19.02.2021 द्वारा सहीराम गोदारा हाईकोर्ट जयपुर को भी भिजवाई गई जिसकी प्रति पत्र के संलग्न कर इस कार्यालय के श्री सुरेन्द्र कुमार वरिष्ठ लिपिक के साथ भिजवाई जा रही है। रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़

तहसीलदार सूरतगढ द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/202 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2020 का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

1. **दिनांक 02.09.2020 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो. सूरतगढ द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/विविध/6067 दिनांक 02.09.2020 दिनांक 08.09.2020 को प्राप्त हुआ था। मुताबिक रिपोर्ट पूर्व कर्मचारी दिनांक 16.02.2021 अनुसार पटवारी हल्का 7 एस.जी.एम. को पत्र क्रमांक 189—190 दिनांक 16.09.2020 को जांच हेतु प्रेषित किया गया लेकिन कर्मचारी का स्थानान्तरण होने के कारण पुनः स्मरण पत्र नहीं दिया गया। प्रति संलग्न हैं**
2. **दिनांक 01.12.2020 को आप द्वारा प्रा. पत्र दिनांक 14.12.2020 को प्राप्त हुआ।**
3. **दिनांक 01.12.2020 प्रा. पत्र में भू.अभि. निरीक्षक सरदारगढ मय पटवारी हल्का से कार्यालय के पत्र क्रमांक 1667—67 दिनांक 28. 12.2020 द्वारा जांचे करवाई गई, जिसकी प्रति संलग्न हैं**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो, सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत प्रा. पत्र में भू.अभि.निरीक्षक सरदारगढ मय पटवारी हल्का से जांच करवाई गई जिसकी जांच की प्रमाणित प्रति व कुल 7 पृष्ठ पत्र के संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत सूचना प्राप्ति का अधिकार केवल नागरिक को है तथा अधिवक्ता (एडवोकेट) नागरिक शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। अधिवक्ता कृत्रिम व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रार्थी को अधिवक्ता होने के कारण सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है फिर भी **लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 01.12.2020 से दिया गया उत्तर** सही है, फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार, सूरतगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत देय सूचनाओं को बिन्दुवार पुनः भी उपलब्ध करवा दे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है आदेश की प्रति तहसीलदार, सूरतगढ़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर